RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-02
February -2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

महिलाओं के विरूद्ध शोषण और हिंसा के लिये उत्तरदायी कारणों में पति द्वारा पत्नी का प्रतारण पर एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण

Dr. Sudha Kumari

Working Teacher Subject of (Home Science) +2 Govt Teacher in Higher Secondary School at Noora Jila Parishad, Patna

ARTICLE DETAILS
Article History
Published Online: 20 February 2019

Keywords
पारिवारिक संस्था, वैधानिक, साहचर्य, अर्द्धांगिनी, मातहत

ABSTRACT
विश्व के सभी समाजों में पारिवारिक संस्था के अन्तर्गत स्त्री पुरूष धार्मिक, सामाजिक तथा वैधानिक मान्यता प्राप्त करके पति–पत्नी के रूप में रहते हैं। पति पत्नी के बीच जो सम्बन्ध स्थापित होते हैं, वे अत्यन्त व्यक्तिगत एवं गोपनीय होते हैं, जिसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप अत्यन्त बुरा माना जाता है। दाम्पत्य जीवन में पति–पत्नी को साहचर्य के रूप में माना जाता है। कहीं पर सहयोगी के रूप में तथा कहीं पर उसे दासी के रूप में रखा जाता है। कहीं पर तो केवल भोग्य के रूप में स्थान मिला है। भारतीय परम्परा के अन्तर्गत पत्नी को अर्द्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया जाता है, किन्तु जब व्यवहार में इसका अध्ययन करते हैं तो यह प्रतीत होता है कि पत्नी को किसी भी समाज में श्रेष्ठता प्राप्त नहीं है। वह पति के मातहत मे रहती है और पति अपना व्यक्तिगत अधिकार दिखाकर या अपना व्यक्तिगत सम्पत्ति समझ कर उस पर अनेक प्रकार का जुर्म करना अपना व्यक्तिगत अधिकार समझता है। यही कारण है कि परिवार में पत्नी को किसी भी प्रकार का प्रताड़ना यदि दी जाती तो उसे मात्र व्यक्तिगत मानकर परिवार की चाहरदिवारी में ही सिमट कर रख दिया जाता है। पति अपनी पत्नी को डराता है, धमकाता है, गाली–गलौज करता है तथा उसे अपने वश में रखने के लिए मारता–पीटता है, तो भी उसे कानूनी अपराध की संज्ञा हम नहीं दे पाते। यही कारण है कि प्रायः कई घरों में विभिन्न रूपो में स्त्री–प्रताड़ित होती रही है और परिवार, आस–पड़ोस, गाँव–मुहल्ला, पुलिस प्रशासन, न्यायालय इसे पूर्णतया व्यक्तिगत मानकर छोड़ देते हैं, और हस्तक्षेप नहीं करते हैं।

अध्ययन प्रविधि और तथ्यों का संकलन :

प्रस्तुत शोध–आलेख महिलाओं के शोषण और हिंसा के लिये उत्तरदायी विभिन्न कारणों में से पति द्वारा अपनी पत्नी को प्रताड़ित किये जाने वाली समस्या के अध्ययन से संबंधित समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं। अध्ययन क्षेत्र बिहार के गया जिला के परिप्रेक्ष्य में है। प्रतिदर्श द्वारा कुल 200 उत्तरदात्रियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विषय वस्तु का अध्ययन किया गया है। समस्याओं से संबंधित सूचनाओं का संकलन प्राथमिक श्रोतों पर आधारित है जिसके अन्तर्गत साक्षात्कार, अनुसूची और निदर्शन द्वारा अध्ययन समस्या से संबंधित वास्तविक तथ्यों को ज्ञात किया गया है। साक्षात्कार, अनुसूची द्वारा संग्रहित आंकड़ों को सरल तालिका द्वारा वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया गया है। विभिन्न शोध ग्रंथ, पत्र–पत्रिकाओं से प्राप्त सूचनाएं द्वितीयक श्रोत की सहायक सामग्री हैं।

विवेचन :

जब हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करते हैं तो स्त्री–प्रताड़ना एक गंभीर सामाजिक समस्या के रूप में उभर कर हमारे समाज के समक्ष आती है। व्यक्तिगत मामला कह कर कोई पति, स्त्री प्रताड़ना की समस्या पर पर्दा नहीं डाल सकता है क्योंकि यदि परिवार में पति–पत्नी के बीच मारने–पीटने की घटनायें घटती है और उसका क्रम चलता रहता है तो निःसंदेह उसके परिणामस्वरूप परिवार टूटा है। परिवार के बच्चों का समाजीकरण नहीं हो पाता है और अन्ततोगत्वा उसका दूरगामी परिणाम पड़ता है। परिवार के सभी सदस्यों पर गलत प्रभाव पड़ता है। सामाजिक व्यवस्था अपनी विकृतता की ओर बढ़ती है। इसलिए आवश्यक है कि पति–पत्नी के बीच जो आय दिन मार–पीट की घटनायें घट रही है, उसका अध्ययन होना चाहिए और उसका निकारण ढूंढ़ना चाहिए।

पति–पत्नी से पारिवारिक व्यवस्था बनती है। साथ–साथ रहने के कारण वैचारिक मतभेद एक–दूसरे के प्रति सहमत–असहमत की प्रकृति, परस्पर एक–दूसरे की संघर्ष, तनाव किसी न किसी प्रकारण को लेकर जीवनपर्यन्त उत्पन्न होते रहते हैं। यह अत्यन्त स्वाभाविक भी है। पति–पत्नी अपने बुद्धि, विवेक से ऐसी समस्याओं को दूर भी कर लेते हैं। कोई न कोई पक्ष अपने सारे–विरोधों के बावजूद दूसरे पक्ष के विचारों तथा निर्णयों को स्वीकार कर परिवार में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। चूँकि, परिवार पुरूष प्रधान होता है, इसलिये पुरूष अपने पुरूषत्व के अभिमान में अपना ही वर्चस्व कायम रखना चाहता है। इसके लिए वह सुझाव से लेकर अपनी पत्नी के साथ मार–पीट की स्थिति को भी अपना लेता है। इस प्रकार पत्नी–प्रताड़ना की घटनायें सभी परिवार में किसी न किसी रूप में पायी जाती है। इस रोकथाम के लिए सबसे सक्षम परिवार के अन्य सदस्य ही होते हैं। क्योंकि

RRIJM 2015, All Rights Reserved

अत्यन्त व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्या होती है, कभी–कभी पास–पड़ोस तथा दूर रिश्तेदार भी पहल करते हैं। इस पर अंकुश रखने के लिए कई देशों में कानून भी बनाये गये हैं। जैसे भारत में हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 में तलाक देने का जो प्रावधान किया गया है, उसके द्वारा यदि पत्नी प्रताड़ित हो रही है तो वह कानूनी तरीके से तलाक ले सकती है और मारपीट तथा अन्य प्रताड़ना से मुक्ति पा सकती है। परन्तु प्रश्न यहाँ यह उठता है कि क्या प्रताड़ना से मुक्त होने के लिए पति और उसके परिवार से सदा के लिए अलग होरक स्त्री क्या समाज में सुख और सम्मान का पद प्राप्त कर सकती है। चाहे कितना भी प्रगतिशील, अमेरिकी समाज जैसा क्यों न हो, स्त्री–पति से अलग होने के उपरान्त अपने सामाजिक सम्मान प्रतिष्ठा एवं पद को सामाजिक दृष्टि से खो देती है और पुनः अकेला एवं असुरक्षित अनुभव करने लगती है। इसलिए जब स्त्री व्यापक दृष्टिकोण अपनाती है और दूरगामी परिणाम की कल्पना करती है तो साधारण रूपो से की गयी प्रताड़ना और मारपीट आदि की छोटी–मोटी घटनाओं को वह शमन कर लेती है। यही कारण है कि ऐसी घटनाओं का आँकड़ा समाजशास्त्रीय दृष्टि से भी अध्ययन करने के लिए इकट्ठा करना अत्यन्त कठिन कार्य हो जाता है। हम सभी यह मानकर चलते हैं कि प्रताड़ना जो छोटे–मोटे मारपीट में होती रहती है, लगभग सभी परिवारों में पायी जाती है। परन्तु इन घटनाओं को पुलिस प्रशासन के यहाँ प्राथमिकी के द्वारा दर्ज की जाती है तभी उन आँकड़ों को लेकर हम अध्ययन करते हैं।

मारपीट एवं प्रताड़ना की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए पत्नी को दी गयी यौन संबंधी गाली को तथा उसके साथ जोर जबरदस्ती से सम्भोग की गयी क्रियाओं को अलग करके उन घटनाओं का अर्थ इस अवधारणा में समावेशित करते हैं, जिसमें जानबूझकर या आदतन या आवेश में आकर कोई पुरूष अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए तथा उसे आतंकित करन के लिए उसे चोट पहुँचाता है। पत्नी को पीटने की घटनाओं के पीछे निम्नलिखित परिस्थितियाँ उत्तरदायी हो सकती है।

1. आर्थिक स्थिति जिसे लेकर तंगी की हालत में तथा स्त्री द्वारा बिना अनुमति लिए व्यय करने की हालत में या अन्य किसी दुरूपयोग की स्थिति में पति परेशान होकर या आवेश में आकर पत्नी पर प्रहार कर बैठता है।
2. पति के बेरोजगारी अथवा अर्द्ध रोजगारी की स्थिति में आर्थिक विषमता बनी रहती है और पत्नी ठीक से खर्च नहीं चला पाती है तो पति अपने पत्नी को प्रताड़ित करता है।
3. ससुराल पक्ष के लोग जब उसकी पत्नी सें दुर्व्यवहार करते हैं और माँ, पिता, बहन, भाई का कान भरते हैं तो तंग आकर पुरूष अपनी पत्नी को मारना–पीटना शुरू कर देता है।
4. जब पुरूष यह समझता है कि उसकी पत्नी उसके अनुरूप नहीं है, अर्थात् सुन्दर नहीं है, यौन के क्षेत्र में इच्छानुसार कार्य नहीं करती है, उसके निर्देशन का पालन नहीं करती है, बीमार रहती है, उसकी तुंलना में कम शिक्षित है, उसके विचार एवं स्वभाव के अनुरूप कार्य नहीं करती है। आर्थिक एवं सामाजिक रूप से उसके परिवार के छोटे परिवार की होती है तो पुरूष उसे अपने योग्य नहीं मानकर हताशा की स्थिति को प्राप्त करता है और क्रोधित होता रहता है और अन्ततोगत्वा उसके ऊपर शारीरिक प्रताड़ना का कार्य प्रारम्भ करता है।
5. कुछ ऐसे पुरूष होते हैं, जो बात–बात पर परिवार के सदस्यों से मान खाने और मारने के आदि हो गये होते हैं , वे भी विवाह के पश्चात् अपनी बात को मनवाने के लिए पत्नी पर मारने–पीटने का ही कार्य करते हैं।

साक्षात्कार के क्रम में अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदात्रियों से एक प्रश्न पूछा गया था कि किस आयु समूह की पत्नियों में उत्पीड़न की घटनायें अधिक होती है? उत्तरदात्रियों से प्राप्त आँकड़ों को निम्न सारणी के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

उत्पीड़ित पत्नी की आयु	संख्या	प्रतिशत
(1) 18–21 वर्ष	40	20.00
(2) 22–25 वर्ष	127	63.5
(3) 26–29 वर्ष	20	10.00
(4) 30–35 वर्ष	10	5.00
(5) 36–41 वर्ष	02	1.00
(6) 42 वर्ष से अधिक	20	10.00
योग	200	100.0

सारणी के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि 200 उत्तरदात्रियों में से कुल 40 यानि 20 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का कहना था कि 18–21 वर्ष की पत्नियों की उत्पीड़न की घटनायें अधिक होती है। 63.50 प्रतिशत उत्तरदात्रियों, के अनुसार 22–25 वर्ष की पत्नियों की उत्पीड़न की घटनायें अधिक होती है। 10 प्रतिशत उत्तरदात्रियों यानि कुल 20 के अनुसार 26–29 वर्ष की आयु समूह की पत्नियॉ इस घटना से प्रभावित होती हैं जबकि 10 उत्तरदात्रियों के अनुसार 30–35 वर्ष आयु की पत्नियॉ उत्पीड़न का शिकार होती हैं। 36–41 वर्ष की आयु समूह की कुल 02 यानि एक प्रतिशत तथा 42 वर्ष से अधिक आयु समूह की कुल 20 यानि 10 प्रतिशत पत्नियों की उत्पीड़न की घटनायें अधिक होती है।

पत्नी को मारने–पीटने की घटनायें अधिक होने वाले के प्रति उत्तरदात्रियों का दृष्टिकोण

क्षेत्र	संख्या	प्रतिशत
ग्रामीण	120	60

RRIJM 2015, All Rights Reserved

नगरीय	80	40
योग	200	100

सारणी के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि कुल 200 उत्तरदात्रियों में से 60 प्रतिशत यानि 120 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में पत्नी को मारने–पीटने की घटनायें अधिक होती है। जबकि 40 प्रतिशत यानि कुल 80 उत्तरदात्रियों का कहना था कि नगरीय क्षेत्रों में पत्नी को मारने–पीटने की घटनायें अधिक होती है।

साक्षात्कार के क्रम में अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदात्रियों से यह पूछा गया कि क्या उन पत्नियों का जिनके पति शराबी होते हैं,उनसे मार–पीट अधिक करते हैं? उत्तरदात्रियों से प्राप्त आँकड़ों को निम्न प्रकार से सारणीकृत किया गया है।

शराबी पति द्वारा पत्नी को मारने–पीटने के प्रति उत्तरदात्रियों का दृष्टिकोण

दृष्टिकोण	**संख्या**	**प्रतिशत**
हाँ	150	75
नहीं	50	25
योग	200	100

सारणी के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि 75 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के अनुसार शराबी पति द्वारा पत्नी को मारने–पीटने की घटनायें अधिक पायी जाती है। 25 प्रतिशत अर्थात् कुल 200 उत्तरदात्रियों में से 50 ने स्पष्ट किया कि शराबी पति द्वारा पत्नी को मारने–पीटने की घटनायें अधिक नहीं होती है। कुल 200 उत्तरदात्रियों ने इस पर अपना दृष्टिकोण प्रकट किया था।

साक्षात्कार के क्रम में अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदात्रियों से एक प्रश्न यह पूछा गया था कि पत्नी को पीटने के क्या कारण हो सकते हैं? उत्तरदात्रियों द्वारा दिये गये आँकड़ों को निम्न सारणी के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

पत्नी को पीटने के कारणों के प्रति उत्तरदात्रियों का दृष्टिकोण

कारण	**संख्या**	**प्रतिशत**
(1) यौन संबंधी असमायोजन	11	5.5
(2) भावनात्मक गड़बड़	05	2.5
(3) पति का गर्वित अहम् या हीनभावना	10	5.0
(4) पति का पियक्कड़ होना	150	75.0
(5) ईर्ष्या और पत्नी की निष्क्रिय कायरता	08	4.0
(6) पति की बातों को न मानना	05	2.5
(7) पति के कार्यों में बराबर हस्तक्षेप	11	5.5
योग	200	100

सारणी के आँकड़ों से स्पष्ट है कि कुल 11 यानि 5.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने यौन संबंधी असमायोजन, 2.5 प्रतिशत अर्थात् 05 उत्तरदात्रियों ने भावनात्मक गड़बड़, 5 प्रतिशत ने पति का गर्वित अहम् या हीनभावना जबकि 75 प्रतिशत अर्थात् 150 उत्तरदात्रियों ने पति का पियक्कड़ होना, 4 प्रतिशत यानि कुल 8 ने ईर्ष्या और पत्नी की निष्क्रिय कायरता, 2.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने पति की बातों को न मानना और कुल 11 यानि 5.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने पति के कार्यों में बराबर हस्तक्षेप को इसके लिये प्रमुख कारण माना है। उपरोक्त दृष्टिकोण कुल 200 उत्तरदात्रियों से लिये गये हैं।

निष्कर्ष:

पति–पत्नी से पारिवारिक व्यवस्था बनती है। साथ–साथ रहने के कारण वैचारिक मतभेद एक–दूसरे के प्रति सहमत–असहमत की प्रकृति, परस्पर एक–दूसरे की संघर्ष, तनाव किसी न किसी प्रकारण को लेकर जीवनपर्यन्त उत्पन्न होते रहते हैं। यह अत्यन्त स्वाभाविक भी है। पति–पत्नी अपने बुद्धि, विवेक से ऐसी समस्याओं को दूर भी कर लेते हैं। कोई न कोई पक्ष अपने सारे–विरोधों के बावजूद दूसरे पक्ष के विचारों तथा निर्णयों को स्वीकार कर परिवार में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। चूँकि, परिवार पुरूष प्रधान होता है, इसलिये पुरूष अपने पुरूषत्व के अभिमान में अपना ही वर्चस्व कायम रखना चाहता है। इसके लिए वह सुझाव से लेकर अपनी पत्नी के साथ मार–पीट की स्थिति को भी अपना लेता है। अतः यह कहा जा सकता है कि पत्नी प्रताड़न के लिए विश्लेषित उपरोक्त आयाम और तथ्य प्रसंगाधीन हैं। महिलाओं के शोषण और हिंसा के रूप में पत्नी प्रतारण की घटनायें अनेक कारणों में मुख्य रूप से समाज में प्रचलित हैं।

ग्रंथ–संदर्भ :

1. *Billington, Marry Frances : Women in India : New Delhi, Amarko Book Agency, 1973.*
2. *Ahuja, Rani : Youth and crime, Rawat Publication, Jaipur, 1996.*
3. *Ahuja, Rani Sociological Criminology, New Age International Ltd. Publishers, New Delhi, 1996.*
4. *Agarwal S. N. : Age at marriage in India, Allahabad, Kitab Mahal, 1962.*
5. *Baig, Tara Ali : Women in India : Delhi, Govt. of India, Ministry of Information & Broadcasting, 1958.*
6. *Babel, August, 1975 : Women in Past, Present & Future, Calcutta : National Book Centre.*
7. *Bebarta, Prafulla C, : Attitudes of Women Towards Family Planning- A study in differences by family type in 6 villages of Delhi.*

RRIJM 2015, All Rights Reserved

8. *Ahuja, Rani Sociological Criminology, New Age International Ltd. Publishers, New Delhi, 1996.*
9. *Billington, Mary Frances : Women in India : New Delhi, Amarko Book Agency, 1976*
10. *Borland, Maries (ed) 2 : Voilence in the Family : Manchester university Press, Manchester, 1976*
11. *Bose, N. K., 1967 : Culture and Society in India, New York : Asia Publication House.*

RRIJM 2015, All Rights Reserved